राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र सं. 62/2022

हरिराम पुत्र घीसाराम जाति गुर्जर उम्र ..... वर्ष निवासी दूधवा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

.....प्रार्थी

ब–ना–म

1. श्रीमती किरण यादव पत्नी कृष्ण कुमार जाति अहीर निवासी शिमला तहसील खेतडी जिला झुन्झुनूं, राज0
2. कृष्ण कुमार पुत्र घीसाराम
3. मोहन पुत्र घीसाराम
4. श्रीमती मिश्री देवी पत्नी घीसाराम
5. कैलाश पुत्र घीसाराम
   जाति गुर्जर निवासी दूधवा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
6. माया पुत्री घीसाराम पत्नी सतपाल जाति गुर्जर उम्र .... वर्ष निवासी दूधवा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0 हाल आबाद कोका तहसील व जिला महेन्द्रगढ़, हरि0
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
8. उप पंजीयक, खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित अधिवक्ता :–

1. श्री ज्ञानप्रकाश :– प्रार्थी की ओर से
2. श्री शीशराम मेहरड़ा :– अप्रार्थी सं. 1 की ओर से
3. श्री मनोज कुमार वर्मा :– अप्रार्थी सं. 2 से 4 की ओर से

:: निर्णय :: **दिनांक 20–09–2022**

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि ग्राम दूधवा तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2074 लगा. 2077 के खाता सं. 474 के खसरा नंबर 1771 रकबा 0.12 है., ख.नं. 1782 रकबा 0.24 है., ख.नं. 1958 रकबा 0.53 है., ख.नं. 2043 रकबा 0.47 है., ख.नं. 2044 रकबा 0.29 है., ख.नं. 2300 रकबा 0.36 है. कुल किता 7 कुल रकबा 2.44 है. में पक्षकार प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं. 2 लगा. 6 संयुक्त खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड है। इस खातेदारी भूमि में प्रार्थी का 1/6 हिस्सा तथा अप्रार्थीगण सं. 2 लगा. 6 का प्रत्येक का 1/6 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्तानुसार प्रश्नगत भूमि पक्षकारान प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं. 2 लगा. 6 की सहखातेदारी की भूमि है तथा इस भूमि का पक्षकारान प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं. 2 से 6 ने आपसी बुजुर्गों के समय से ही आपसी सहमति से विभाजन कर रखा है तथा अपने–अपने हिस्से की भूमि पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 13:35:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with OKEN Scanner

शांतिपूर्वक काबिज काश्त चले आ रहे हैं, लेकिन प्रश्नगत भूमि का अभी तक विधिवत् बंटवारा नहीं हुआ है। इस कारण प्रश्नगत भूमि पक्षकारान की संयुक्त खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। इस प्रकार विधि द्वारा सुस्थापित प्रावधानों के अनुसार जब तक इस भूमि का विधिवत् बंटवारा नहीं हो जाता है, तब तक प्रत्येक इंच पर प्रत्येक खातेदार का कब्जा है। अप्रार्थी सं. 2 लगा. 4 ने प्रश्नगत भूमि में से खसरा नंबर 2043 रकबा 0.47 है., ख.नं. 2044 रकबा 0.29 है. भूमि में अपने सम्पूर्ण हिस्सा यानि 1/2 हिस्से की भूमि का बेचान अप्रार्थी सं. 1 को करना बताया है, जिसकी प्रार्थी को जानकारी नहीं है। परन्तु अप्रार्थी सं. 1 वादग्रस्त भूमि के लिए अजनबी क्रेता है जो सहखातेदारान के कब्जे काश्त की पुरानी व्यवस्था को भंग कर वह वादान्तर्गत जमीन खेत खसरा नंबर 2043 रकबा 0.47 है. व ख. नं. 2044 रकबा 0.29 है. पर बिना बंटवारा करवाये ही दिनांक 09.06.2022 को प्रार्थी के हक व हिस्से वाली जमीन में जे.सी.बी. से खाई खोदने लगा तो प्रार्थी ने उससे उक्त बाबत कारण पूछा तो उसने प्रार्थी को धमकी दी कि उसने अप्रार्थीगण सं. 2 लगा. 4 से उनके 1/2 हिस्से की जमीन खरीद ली है। इसलिए वह अपनी ताकत के आधार पर वादग्रस्त भूमि में अपने इच्छित स्थान पर कब्जा करेंगे। ऐसी स्थिति में प्रार्थी के लिए यह बेहद जरूरी हो गया है कि वह दावा की खण्ड सं. 2 में दर्ज भूमि के अपने हिस्से का विभाजन करवाये तथा अप्रार्थी सं. 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाये कि वह वाद वर्णित भूमि के किसी भी भू–भाग पर बिना खाता विभाजन करवाये अवैध अतिक्रमण नहीं करें तथा वाद वर्णित भूमि जिसका वाद पत्र की खण्ड सं. 2 में वर्णन किया गया है के किसी भी भाग पर बिना खाता विभाजन करवाये कोई कच्चा–पक्का निर्माण कार्य नहीं करें तथा वह मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें तथा ऐसा ना वह स्वयं करें तथा ना ही अपने परिजनों, मित्रों, एजेण्ट्स व सर्वेण्ट्स आदि से करवायें। प्रार्थी का यह प्रथम दृष्टया मामला है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के ही पक्ष में है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी सं. 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह वाके ग्राम दूधवा तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2074 लगायत 2077 के खाता सं. 474 के ख.नं. 1771 रकबा 0.12 है., ख. नं. 1782 रकबा 0.24 है., ख.नं. 1958 रकबा 0.53 है., ख.नं. 2043 रकबा 0.47 है., ख.नं. 2044 रकबा 0.29 है., ख.नं. 2300 रकबा 0.36 है. कुल किता 7 कुल रकबा 2.44 है. भूमि का जब तक विधिवत रूप से विभाजन न हो जाये तब तक इस भूमि के किसी भी भाग को बेचान, रहन या किसी भी तरह से स्थानांतरित नहीं करें तथा कोई कच्चा–पक्का निर्माण कार्य नहीं करें। मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे तथा ऐसा ना वह स्वयं करें तथा ना ही अपने एजेण्ट्स या सर्वेण्ट्स आदि से करवायें तथा अप्रार्थी सं. 8 को भी जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि अप्रार्थीगण सं. 1 लगा. 6 द्वारा पेश किसी भी दस्तावेज को पंजीकृत नहीं करें। ऐसा कृत्य ना स्वयं करें ना ही अपने अधीनस्थ कर्मचारियों/अधिकारियों से करावें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थी सं. 1 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को अस्वीकार किया है कथन किया है कि अप्रार्थीगण सं. 2 लगा. 4 ने अपने हिस्से की भूमि का बेचान जरिये विक्रय पत्र अप्रार्थी सं. 1 को विधिवत रूप से कर दिया था एवं बेचान के अनुसार अप्रार्थीगण सं. 2 लगा. 4 ने अप्रार्थी सं. 1 को मौके पर कब्जा बहैसियत कब्जा काश्त करवा दिया था एवं बेचान के समय से ही अप्रार्थी सं. 1 काबिज काश्त है जिसकी बाबत अप्रार्थी सं. 1 को समस्त [illegible] जानकारी है। प्रार्थी ने गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया है जो अप्रार्थी सं. 1 को हैरान व परेशान करने की गरज से तथा आपसी द्वेषता के कारण ऐसा किया गया है। अप्रार्थी सं. 1 ने अपनी कब्जा काश्त

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 13:35:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

की भूमि से सटती हुई भूमि अप्रार्थी सं. 2 लगा. 4 से खरीदी है एवं अपनी काश्त की भूमि में खरीद शुदा भूमि को शामिल कर लिया है तथा खरीद से पूर्व अप्रार्थी सं. 2 लगा. 4 ही अपने हिस्से की भूमि को काश्त करते आ रहे थे। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा सहित खारिज किया जावे।

अप्रार्थीगण सं. 2 लगा. 4 की ओर से अपने जवाब प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी सं. 1 द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अप्रार्थीगण सं. 2 लगा. 4 ने अपने हिस्से की भूमि का बेचान जरिये विक्रय पत्र अप्रार्थी सं. 1 को विधिवत् रूप से कर दिया था एवं बेचान के अनुसार अप्रार्थीगण सं. 2 लगा. 4 ने अप्रार्थी सं. 1 का मौके पर कब्जा बहैसियत कब्जा काश्त करवा दिया था एवं बेचान के समय से ही अप्रार्थी सं. 1 काबिज काश्त है जिसकी बाबत अप्रार्थी सं. 1 को समस्त खातेदारी हक अधिकार प्राप्त है। प्रार्थी ने गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया है जो अप्रार्थीगण सं. 1 लगा. 4 को हैरान व परेशान करने की गरज से तथा आपसी द्वेषता के कारण ऐसा किया गया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा सहित खारिज किया जावे।

अप्रार्थी सं. 5 से 8 बावजूद सम्यक् तामील अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2074–2077 खाता सं. 474 का अवलोकन किया गया। उक्त वादग्रस्त भूमि प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं. 2 लगा. 6 की संयुक्त खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। उक्त वादग्रस्त भूमि का विधिवत् रूप से खाता विभाजन नहीं हुआ है। वादग्रस्त भूमि में अप्रार्थी सं. 1 ने जरिये विक्रय पत्र दिनांक 27.05.2022 को अप्रार्थी सं. 2 लगा. 4 का हिस्सा 1/2 सम्पूर्ण क्रय कर लिया है। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद नहीं हुआ है। वादग्रस्त भूमि का विधिवत् खाता विभाजन नहीं होने के कारण पक्षकारान/खातेदारान के कब्जे काश्त की स्थिति स्पष्ट नहीं है। वाद में वर्णित अनुतोष का निर्धारण विस्तृत साक्ष्य एवं रिकॉर्ड के आधार पर किया जाना उचित होगा। इस प्रकार प्रार्थना पत्र में विचारणीय बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होते हैं। अप्रार्थी सं. 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं हो रहा है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 20–09–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 13:35:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner